

कार्यालय उप संचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

Ph. No. 07372 255167 E-Mail :- ddhortiraj@mp.gov.in

राजमहल भवन तीसरी मंजिल जिला राजगढ़

:: विज्ञप्ति ::

पीएम-एफएमई योजनांतर्गत रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

विज्ञप्ति जारी दिनांक !!!... सितम्बर, 2025

प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME) अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिशा-निर्देश की कंडिका 9.3.8 अनुसार जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिले हेतु रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रूप में) का चयन किया जाना है। उक्त के संबंध में जिला रिसोर्स पर्सन हेतु निम्नानुसार योग्यता एवं कार्य निर्धारित है।

जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएँ/योग्यताएँ निम्नानुसार हैं :-

1. मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री अथवा।
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रौद्योगिकी, उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध के प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं, प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव अथवा।
3. यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है अथवा।
4. खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री एवं अनुभव अथवा।
5. खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री अथवा।
6. कृषि में डिग्री और खाद्य प्रौद्योगिकी में अनुभव और डीपीआर आदि तैयार करने का अनुभव अथवा।
7. डीपीआर तैयार करने में प्रासंगिक ज्ञान/अनुभव के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक या समकक्ष डिग्री रखने वाले उम्मीदवार।

जिला रिसोर्स पर्सन के कार्य :-

1. रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों के डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लायसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसे हैंड लोडिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
2. प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20000/- रुपये की दर से भुगतान किया जावेगा। 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात् किया जावेगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात योजना की कंडिका क्रमांक 9.3.8 में निहित प्रावधान अनुसार किया जावेगा।

आवेदन मय दस्तावेजों के कार्यालय उप संचालक उद्यान, राजमहल (कंवरपति भवन) तीसरी मंजिल जिला राजगढ़ में समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक ऑफलाईन स्वीकार किये जायेंगे।

इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिये श्री बी.एल. अहिरवार, ओआईसी पीएम-एफएमई योजना उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जिला राजगढ़ के मोबाईल नम्बर 9424405873 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, 2025

उप संचालक उद्यान/सदस्य सचिव
पीएम एफएमई जिला क्रियान्वयन समिति
जिला राजगढ़

कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय
पीएम एफएमई जिला क्रियान्वयन समिति
जिला राजगढ़

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME Scheme) के अंतर्गत
रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**

- 1 आवेदक का नाम -
- 2 पिता/पति का नाम -
- 3 पत्राचार के लिये वर्तमान पता -
- स्थायी पता -
- 4 मोबाईल नम्बर -
- 5 ई-मेल आईडी -
- 6 जन्मतिथि -
- 7 श्रेणी (सामा./अ.जा./अ.ज.जा वर्ग) -
- 8 शैक्षणिक अर्हता (कक्षा 10 एवं उससे अधिक) -

आवेदक का
पासपोर्ट
साईज का
फोटो स्वयं
के द्वारा
सत्यापित

क्र.	श्रेणी/डिग्री	बोर्ड/विश्व विद्यालय	उत्तीर्ण का माह/वर्ष	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्रतिशतता

- 9 कार्यानुभव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बैंकिंग/
डीपीआर तैयार करने आदि)

पद का नाम	संगठन/संस्था का नाम	तिथि से	तिथि तक	किये गये कार्यों की प्रकृति

10. घोषणा :- मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रेषित विवरण सही है तथा कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है, यदि किसी समय पाया जाता है कि मैंने कोई सूचना छिपाई/तोड़मरोड़ कर पेश की है तो मेरी रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति बगैर सूचना के सरसरी तौर पर ही समाप्त कर दी जाएगी। मैं योजना मार्गदर्शी निर्देश कंडिका क्रमांक 9.3.8 में निहित प्रावधान अनुसार कार्य करूंगा।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम _____
पता _____
मोबाईल नम्बर _____
ई-मेल _____

संलग्न :- दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति।